प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 20.07.2024

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही/पैरवी करते हुए पोक्सो अधि0 के अभियुक्त को 20 वर्ष की कठिन कारावास की सजा दिलायी गयी।

दिनांक 03-05-22 को दीनदयालपुरी निवासी वादी द्वारा सूचना दी कि ज्ञानेन्द्र पुत्र लाल सिंह निवासी म0नं0 710 गली नं0 6 , 40 फटा रोड दीनदयाल पुरी थाना नन्दग्राम गा0बाद द्वारा उनकी पुत्री के साथ गलत काम किया है, उक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए , थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया था, तथा अभियुक्त ज्ञानेन्द्र को गिरफ्तार कर एक माह के अन्दर आरोप पत्र लगाते हुए मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मुकदमा उपरोक्त की प्रभावी पैरवी करते हुए सभी गवाहो का शीघ्र अति शीघ्र गवाही कराकर मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 20-7-24 को अभियुक्त ज्ञानेन्द्र पुत्र लाल सिंह निवासी म0नं0 710 गली नं0 6 , 40 फटा रोड दीनदयाल पुरी थाना नन्दग्राम गा0बाद को विशेष न्यायालय (पोक्सो अधि0) -I गाजियाबाद द्वारा 20 वर्ष के कठिन कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित कराया गया।

कार्यवाही करने वाली टीम–

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा एक लुटेरा गिरफ्तार , कब्जे से 01 पीली धातु की चैन , लूट से सम्बन्धित 4000/–रू0 व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 24.06.2024 को थाना कौशाम्बी पर वादी श्री सुगम शुक्ला पुत्र श्रीशिव प्रकाश शुक्ला निवासी 1/409, UGF सैक्टर-1, वैशालीद्वारालिखित तहरीर दी गई कि अज्ञात मोटर साइकिल सवार द्वारा वादी के गले से सोने की चैन छीन लेने के सम्बन्ध मेंअभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसका संज्ञान लेते हुएआज दिनांक 20.07.2024 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर कि सूचना के आधार पर अभियुक्तआदिल मलिक उर्फ अण्डा पुत्र अजहर मलिक निवासी बी 134 जवाहर पार्क थाना साहिबाबाद उम्र करीब 28 वर्ष कोएलिवेटेड रोड़ दिल्ली ऊतार के पास कौशाम्बी सेगिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 पीली धातु की चैन , लूट से सम्बन्धित 4000 /–रू0 व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई ।गिरफ्तार

अभियुक्तआदिल मलिक उर्फ अण्डा पुत्र अजहर मलिक उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त आदिल मलिक उर्फ अण्डा उपरोक्त ने बताया कि मैंने गाजियाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में चोरी व लूट की कई घटनाओं को अन्जाम दिया है तथा कुछ दिन पहले ही मैंने एक लूट की घटना वैशाली क्षेत्र में भी की है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

आदिल मलिक उर्फ अण्डा पुत्र अजहर मलिक निवासी बी 134 जवाहर पार्क थाना साहिबाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- 01 पीली धातु की चैन, लूट से सम्बन्धित 4000/–रू0 व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त आदिल मलिक उर्फ अण्डा उपरोक्त पर थाना कौशाम्बी पर लूट व चोरी से सम्बन्धित 06 अभियोग, थाना इन्दिरापुरम व लिंकरोड़ पर लूट से सम्बन्धित 02-02 अभियोग, थाना शालीमार गार्डन पर चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग व थाना साहिबाबाद पर लूट व चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त आदिल मलिक उर्फ अण्डा उपरोक्त पर कुल 13 अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना कौशाम्बीपुलिस टीम

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे में से चोरी की एक ई-रिक्शा बरामद।

दिनांक 19.07.2024 को थाना टीलामोड़पर वादीराकेश जहा पुत्र सरोज जहा नि वासी - पंचशील कॉलोनी थाना टीलामोड़गाजियाबादद्वारा लिखित तहरीर दी कि मेरा ई-रिक्शा ऑक्सीहोम के सामने रोड़ से चोरी हो गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना टीला मोड़ पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मुख बिर की सूचना के आधार परएक अभियुक्तरवि पुत्र शीशपाल निवासी गली 03 म0न0 सी 413 पप्पू कालोनी थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष को भारत सिटी के पास से चोरी की एक ई-रिक्शा सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त रवि पुत्र शीशपाल के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

रवि पुत्र शीशपाल निवासी गली 03 म0न0 सी 413 पप्पू कालोनी थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- चोरी की एक ई-रिक्शा बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम

सहायक पुलिस आयुक्त मोदीनगर व थाना निवाडी पुलिस द्वारा होटल में अनैतिक देह व्यापार कराने वाला अभियुक्त गिरफ्तार,मौके से 01 क्यूआर कोड, 01 एंट्री रजिस्टार, 9220/- रुपये नगद व आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद।

दिनांक 19.07.2024 कोसहायक पुलिस आयुक्त मोदीनगर को प्राप्त सूचना के आधार पर थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा रिवर हाइट इन ओयो होटल से महिलाओं को नौकरी का लालच देकर होटल पर बुलाकर महिलाओं से अनैतिक देह व्यापार कराने वाला अभियुक्त सोनू पुत्र नरेश निवासी उमेश पार्क कस्बा व थाना मोदीनगर , गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, मौके से 01 क्यू आर कोड, 01 एंट्री रजिस्टार, 9220/- रुपये नगद व आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई। थाना निवाडी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि मैं अपने होटल रिवर हाइट इन ओयो में महिलाओं को नौकरी का लालच देकर बुलवाता हूँ तथा उन महिलाओं से अवैध रुप से देह व्यापार का धंधा कराता हूँ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

सोनू पुत्र नरेश निवासी उमेश पार्क कस्बा व थाना मोदीनगर, गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष,

बरामदगी का विवरण-

01 क्यू आर कोड, 01 एंट्री रजिस्टार, 9220/- रुपये नगद व आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.सहायक पुलिस आयुक्त मोदीनगर,

2.थाना निवाड़ी पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान आभूषण आदि बरामद।

दिनांक 27.06.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी द्वारा लिखित सूचना दी गई कि मेरे घर खैराती नगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से अज्ञात चोरों द्वारा दिनांक 26/27.06.2024 की रात्रि में घर का ताला तोड़कर घर में रखासामान

एलईडी (टीवी), प्रेस, कुछ सोने चांदी के आभूषण आदि चोरी करके ले गये है। इस सूचना पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 20.07.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए मुखबिर की सूचना पर चोरी की घटना कारित करने 02 अभियुक्तों (1) कृष्णा उर्फ रोहित पुत्र ओमप्रकाश निवासी महरौली ठेके के सामने वाली गली थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष (2) राजेश पुत्र अमर सिंह निवासी शिव मन्दिर वाली गली इरेडा पप्पे उर्फ दिनेश का मकान थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र-46 वर्ष को रिछपाल गढ़ी की पुलिया से जल प्लांट रोड़ ट्रांसफार्मर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से उपरोक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित सामान (1) एक LED 24 इंच रंग काला कम्पनी एलजी (2) एक प्रेस रंग सफेद आसमानी कम्पनी सिंगर (3) एक मुकदमा वादी की सिडिंकेट बैंक की पास बुक (4) 06 सफेद धातु की कडूली (कड़े) (5) 05 सफेद धातु की पायल (6) 04 सफेद धातु की अंगूठी (7) 03 पीली धातु की झुमकी तथाघटना में प्रयुक्त उपकरण एक आला लोहे का बरामद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण–</u>

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया गया कि दिनांक 26/27.06.2024 की रात्रि में हम लोग चोरी की फिराक में घूम रहे थे कि हमने खैराती नगर में एक मकान देखा जिसका ताला लगा हुआ था तथा घर पर कोई नही था , इसका फायदा उठाकर हम दोनों ने उस घर का ताला लोहे के आले से तोड़कर घर से सामान चोरी करके ले गये थे तथा सामान को हमने छुपा दिया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता</u>

(1) कृष्णा उर्फ रोहित पुत्र ओमप्रकाश निवासी महरौली ठेके के सामने वाली गली थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष

(2) राजेश पुत्र अमर सिंह निवासी शिव मन्दिर वाली गली इरेडा पप्पे उर्फ दिनेश का मकान थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र-46 वर्ष

<u>बरामदगी का विवरण</u>

(1) एक LED 24 इंच रंग काला कम्पनी एलजी (2) एक प्रेस रंग सफेद आसमानी कम्पनी सिंगर (3) एक मुकदमा वादी की सिडिंडेट बैंक की पास बुक (4) 06 सफेद धातु की कडूली(कड़े) (5) 05 सफेद धातु की पायल (6) 04 सफेद धातु की अंगूठी (7) 03 पीली धातु झुमकी तथाघटना में प्रयुक्त उपकरण एक आला लोहे का बरामद हुआ।

<u>अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग</u>

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त राजेश के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 01 अभियोग थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर में पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम</u>

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मोबाइल फोन लूट के अभियोग में वाँछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 18.07.2024 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी सतीश पुत्र कन्हैया लाल द्वारा लिखित तहरीर दी कि तीन लड़के 1. साजिद 2. चांद व भूरा ने मेरा मोबाइल फोन छीन लिया है। जिसके सम्बन्ध में थाना शालीमार गार्डन पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें दो अभियुक्त साजिद व चांद को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया गया था। दिनांक 20.07.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर वाँछित अभियुक्त भूरा उर्फ फईम पुत्र शकील पता म0न0 वी 36 विक्रम इन्कलेव शालीमार गार्डन उम्र 28 वर्ष को तिकोना पार्क वंगाली कालोनी शालीमार गार्डन से गिरफ्तार गिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त भूरा उर्फ फईम उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

भूरा उर्फ फईम पुत्र शकील निवासी म0न0 वी 36 विक्रम इन्कलेव शालीमार गार्डन उम्र 28 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त भूरा उर्फ फईम उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर लूट से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम